

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - कपासन)

# 025

धरा अन्वर्गत - 136

प.सं. 0226/25 दायर दिनांक 02/10/25 निर्णय दिनांक 02/10/25



क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर कपासन आदेश
	<u>धरपुर</u>	<u>70</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि नुताधिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर</p> <p>हस्ताक्षर <u>पटवारी</u></p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>धरपुर</u> प.ह. <u>उपखण्ड</u> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>कपासन आदेश</p> <p>पदेन सहायक कलेक्टर कपासन</p>
			<p>हस्ताक्षर <u>पटवारी</u></p> <p>हस्ताक्षर <u>पटवारी</u></p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>	

प्रतिनिधि पालनार्थ- पटवारी

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जा रहा है।

तहसीलदार कपासन  
तहसीलदार(भू.अ.) कपासन